हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-18 पत्रावली पेश हुई रूक-रूक कर तीन बार आवाज दिलाई गई न तो अभिभाषक उपस्थित है ओर न ही पक्षकारान ऐसी सूरत में न्यायालय इस प्रकरण को ओर अधिक जेरकार रखना उचित नहीं समझता है। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~[illegible]~~ नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 7-9-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

... करते है :—

1. यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी वाके माल भावगढ तहसील मांगरोल में स्थित है, जिसके पुराने खसरा नं0 47 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा है जो पुराने रिकार्ड में वादीगण के रिकार्ड खाते में दर्ज हैं।

2. यह कि खसरा नं0 47 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वाके माल भावगढ तहसील मांगरोल की आराजी में सिंचाई विभाग द्वारा पानी का माइनर निकाल दिया जिससें वादीगण की आराजी दो भागों में विभक्त हो गयी हैं।